राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3605/2022

कैलाश चन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, संस्थान पथ, झालाना डूंगरी, जयपुर।
2. सचिव, निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, संस्थान पथ, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. शंकर लाल गुर्जर, सहायक कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, संस्थान पथ, झालाना डूंगरी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.08.2022
आदेश की दिनांक : 03.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 01.10.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 की पदोन्नति सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर किए जाने से ईएसटीआई (इंजीनियरिंग स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन) में स्थानांतरित कर दिया गया और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर विभाग में कार्यरत कार्मिकों की डीपीसी आयोजित नहीं की गई। मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में 2 मई, 1984 को बैठक हुई जिसमें इंजीनियरिंग विभागों के इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में तकनीकी शिक्षा, वित्त, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिवों ने भाग लिया। साथ ही सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और निदेशक एचसीएम रीपा में आयोजित बैठक के परिणामस्वरूप लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 2 मई 1986 द्वारा संस्थान के लिए पद स्वीकृत किये गये और संस्थान 1 जुलाई 1986 को अस्तित्व में आया। पत्र दिनांक 01.02.1998 (अनुलग्नक–2) द्वारा उप शासन सचिव द्वारा निदेशक, निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, संस्थान पथ, ओ.टी.एस. के पीछे, झालाना डूंगरी, जिला जयपुर, राजस्थान को संस्थान में सजृित अस्थाई पदों की सेवा अवधि बढाने हेतु जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा दिनांक 13.03.2002 (अनुलग्नक–3) द्वारा अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 2 पर अंकित है। आदेश दिनांक 19.10.2011 (अनुलग्नक–4) द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु कनिष्ठ लिपिक पद से वरिष्ठ

लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित की गई थी। विचारण क्षेत्र में, केवल दो व्यक्ति पदोन्नति हेतु पात्र थे, जिसमें प्रथम स्थान पर उषा गोयल, जो कि अपीलार्थी से वरिष्ठ थी एवं द्वितीय स्थान पर अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई। उप शासन सचिव–।।। ने आज्ञा दिनांक 03.03.2015 (अनुलग्नक–5) द्वारा कैडर संशोधित किया गया। एलडीसी और यूडीसी के पदों का नामकरण क्रमशः क्लर्क ग्रेड–।। और क्लर्क ग्रेड–। के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। आदेश दिनांक 29.06.2016 (अनुलग्नक–6) द्वारा क्लर्क ग्रेड–।। की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें केवल अपीलार्थी के नाम का उल्लेख किया गया। निदेशक, अभियांत्रिकी स्टॉफ प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.10.2016 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पे–बेंड 5200–20200 ग्रेड पे 2800/– में वरिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–।) के पद पर पदोन्नत किया गया था। आदेश दिनांक 27.06.2013 (अनुलग्नक–8) द्वारा पूर्व आदेश को विलोपित करते हुए क्लर्क ग्रेड–। के पद के लिए एक अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें एक मात्र अपीलार्थी का नाम शामिल था। अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर 15 दिवस के भीतर आपत्ति आमंत्रित की गई। आदेश दिनांक 18.10.2017 (अनुलग्नक–9) द्वारा लिपिक ग्रेड–1 के पद पर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें केवल अपीलार्थी का नाम अंकित था। अपीलार्थी को दिनांक 17.02.2017 (अनुलग्नक–10) द्वारा एक आधिकारिक आदेश द्वारा सहायक कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सचिव, वित्त (बजट), विभाग द्वारा जारी आदेश/पत्र दिनांक 24.04.2017 (अनुलग्नक–11) द्वारा पदों का नामकरण बदल दिया गया। उषा गोयल सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के कारण दिनांक 31.01.2017 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गई, इसलिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त हो गया। अपीलार्थी लिपिक ग्रेड–1 के पद पर वरिष्ठ कर्मचारी था, इसलिए वह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति का हकदार था। लेकिन पद उपलब्ध होने के बावजूद डीपीसी नहीं की गई और अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। पीएचईडी विभाग में कार्यरत शंकर लाल गुर्जर वरिष्ठ सहायक को दिनांक 15.09.2021 (अनुलग्नक–12) द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाकर उपखण्ड देवली में पदस्थापित किया गया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक–13) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 शंकर लाल गुर्जर का स्थानान्तरण उपखण्ड देवली से ईएसटीआई जयपुर में कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 29.05.2022 (अनुलग्नक–14) द्वारा अपने अधिवक्ता जरिये न्याय की मांग के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए नियमित डीपीसी आयोजित करने की अनुमति दिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के स्थानानन्तरण आदेश दिनांक 30.09.2021 को निरस्त किया जावे। साथ ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी उषा गोयल के सेवानिवृत्त हो जाने से रिक्त हुए पद पर अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी कों निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर के दिनांक 28.08.2014 की पालना में दिये गये निर्देशों के अनुसार स्टोर में उपलब्ध सामान की सूची बनाकर नकारा सामान का निस्तारण किया जाना था लेकिन अपीलार्थी द्वारा समय पर नकारा सामान की सूची 5 माह व्यतित होने के पश्चात भी उपलब्ध नहीं कराये जाने पर कार्यालय के पत्र दिनांक 15.09.2014 द्वारा कोई रूचि नहीं दिखाने के कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। तदोपरांत निदेशक ई०एस०टी०आई० द्वारा दिनांक 13.10.2014 को नोट शीट पर उक्त अपीलार्थी के विरूद्ध स्टोर संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु लिखित/मौखिक निर्देश देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर नियमानुसार 17 सीसीए के तहत सात दिवस में आरोप पत्र जारी करवाने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी को दिनांक 26.02.2020 द्वारा स्टोर एंव पुस्तकालय में स्टोर वेरिफिकेशन में कोई रूचि नहीं लेने संबंध में चेतावनी दी गई। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 14.07.2020 द्वारा बिजली/टेलीफोन के बिलों में सरचार्ज/विलम्ब शुल्क का भुगतान कर राजकोष को हानि पहुचाने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 07.01.2020 द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन संख्या 42/2015–16 द्वारा स्टोर में कम पाये गये सामान के विरूद्ध राशि रूपये 46350/– रूपये की वसूली के आदेश जारी किये गये और वेतन से वसूली कर ली गई। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 12.04.2021 द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन संख्या 42/2015–16 के अक्षेपों की अनुपालना में पुस्तकालय में राशि रूपये 20946/– पुस्तके कम पाये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। पत्र का जवाब नहीं देने पर पुनः पत्र दिनांक 30.07.2021 द्वारा पुस्तकों की राशि 20946/– वेतन से वसूल करने बाबत लिखा गया। जिसके बाद अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.09.2021 को जवाब प्रस्तुत करने पर निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर के पत्र दिनांक 21.10.2021 द्वारा वेतन से किताबों की राशि वसूली के आदेश दिये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.06.2017 द्वारा विभाग में नियमित रूप से नियुक्त लिपिक ग्रेड प्रथम की अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई जिस पर 15 दिवस में आपत्ति मांगी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.10.2017 द्वारा इस विभाग में नियमित रूप से नियुक्त लिपिक ग्रेड–1 की स्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2017 को कार्यरत लिपिक ग्रेड–1 की जारी की गई जिसमें मात्र अपीलार्थी नाम नामित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2017 द्वारा अपीलार्थी क्लर्क ग्रेड–1

को अपने कार्य के अतिरिक्त सहायक कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर के आदेश दिनांक 18.03.2016 द्वारा उषा गोयल कार्यालय सहायक की 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31.01.2017 को मध्यान पश्चात् सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये एवं 31.01.2017 को सेवानिवृत्त किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर को प्राप्त होने के उपरान्त पदोन्नति की पत्रावली 25.09.2019 से 10.08.2022 तक अपीलार्थी के पास होना ही अवगत हुआ। जिसके पश्चात् विभाग द्वारा पत्रावली को 25.09.2019 से 10.08.2022 तक लम्बित रखते हुए पदोन्नति संबंधी कार्यवाही नही होने पर लापरवाही हेतु अपीलार्थी से निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर के दिनांक 09.11.2022 से स्पष्टीकरण मांगा गया। पदोन्नति की पत्रावली 25.09.2019 से 10.08.2022 तक लंबित रहने के संबंध में विभाग द्वारा कमेठी गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट आना शेष है। पूर्व में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है। अतः रिक्त पद के संबंध में डीपीसी का आयोजन नहीं किए जाने के संबंध में अपीलार्थी की पदान्नति पर विचार नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी द्वारा लिखित में जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भी अन्य विभाग से भिन्न विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर दिया है। प्रत्यर्थी विभाग अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर रहा है, जबकि अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति एवं नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। लेकिन अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं कर रहे हैं जो विभाग में एकमात्र योग्य उम्मीदवार है। अपीलार्थी को विभिन्न समय पर दिए गए अनुशासनात्मक पत्रों को विभाग द्वारा सरल चेतावनी देने के बाद निपटाया गया था, जब अपीलार्थी ने ईमानदारी से माफी के साथ संतोषजनक कारण बताए थे तो विभाग ने अपीलार्थी को माफ कर दिया था और अपीलार्थी को समय–समय पर पदोन्नत किया था। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत नहीं कर रहा है, जबकि वह विभाग में इस पद के लिए उपयुक्त एकमात्र व्यक्ति है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब–उल–जवाब का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभागीय कमेठी के द्वारा स्टोर की आंतरिक जांच किये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्ध स्टोर में कम पाये गये सामान के लिए राशि रूपये 88321.23/– की वसूली निकाली गई थी जिस पर अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से वसूली के

विरूद्ध स्थगन आदेश लिया गया है। प्रकरण विचाराधीन है। अंतिम निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध जाने की पूर्ण संभावना है। राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के 16.3 के अनुसार लापरवाही किसी विधि नियम, आदेश को भंग करने से सरकार की हुई आर्थिक हानि की वसूली के प्रत्येक प्रकरण हेतु एक बार पदोन्नति से वंचित करने का प्रावधान है। निदेशालय अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पूर्व में वरिष्ठ सहायक की वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से डीपीसी नहीं करायी जा सकी। संस्थान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का मात्र एक ही पद स्वीकृत है। संस्थान के कार्यों को सुचारू संचालन एवं संधारण हेतु अन्य विभाग से सहायक प्रशासनिक अधिकारी लिया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राज० सरकार के परिपत्र दिनांक 27.12.2022 के निर्देशानुसार राज्य के समस्त विभागों में ई फाइल सिस्टम (ई फाइल मॉड्यूल) लागू कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा टंकण एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने का कहने पर उक्त कार्य नही आने कहते हुए इन्कार कर दिया जाता है। कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होने की दशा में 9, 18, 27 वर्षीय अवधि पर चयनित वेतनमान का लाभ देय होता है। अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी कार्मिक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध पदोन्नति नहीं दी गई है। पदोन्नति अधिकार के रूप में नही मांगी जा सकती है। इस प्रकार अपीलार्थी के अधिकारों का कोई हनन नही हुआ है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियांत्रिकी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान ओ.टी.एस. के पीछे, संस्थान पथ, जयपुर में अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। प्रशिक्षण संस्थान में कनिष्ठ लिपिक (कनिष्ठ सहायक) के दो पद, वरिष्ठ सहायक का एक पद एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी का एक पद स्वीकृत है। उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के दो पदों पर उषा गोयल और अपीलार्थी पदस्थापित रहे है और वर्ष 2010–11 में वरिष्ठ सहायक के एक रिक्त पद के विरूद्ध उषा गोयल को पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक ग्रेड–ा (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2017 द्वारा अपीलार्थी को सहायक कार्यालय के रिक्त पद पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया जा रहा है, जबकि

नियमानुसार अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखता है। अतः उसे रिक्त पद पर पदोन्नति नियमानुसार प्रदान की जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि पूर्व में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है। अतः रिक्त पद के संबंध में डीपीसी का आयोजन नहीं किए जाने से अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया है।

प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है और अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत होकर कार्यरत है और अपीलार्थी को ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर कार्यभार भी फरवरी 2017 से दिया हुआ है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संस्थान में कार्यरत एक मात्र वरिष्ठ सहायक है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने हेतु 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक होता है। अपीलार्थी निर्धारित अनुभव धारित करता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद की रिक्ति उपलबध होने से वर्ष वार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जावे और अपीलार्थी की पदोन्नति पर नियमानुसार विचार किया जावे। यदि अपीलार्थी पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव और अन्य शर्तें पूरी करता है एवं पदोन्नति हेतु पात्र पाया जाता है, तो उसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे। उक्त आदेश की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)